प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 27.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त नरेश अनुरागी पुत्र छोटेलाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गिरवर थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर उ0प्र0 को थानाक्षेत्र के ग्राम रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 800 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ । अभियुक्त के कब्जे से हुई इस बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-18/2025 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2.कां0 तेज सिंह
3.कां0 विजय निरंकारी

गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेश अनुरागी पुत्र छोटेलाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गिरवर थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर उ0प्र0

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महाकुम्भ- 2025 के दृष्टिगत मौनी अमावस्या व वसंत पंचमी पर्व के दौरान स्नान के दृष्टिगत

जनपद महोबा से प्रयागराज जाने वाले भारी वाहनों का रहेगा डायवर्जन-

दिनांक- 27.01.2025 की रात्रि 10.00 बजे से दिनांक- 04.02.2025 की रात्रि 10.00 बजे तक जनपद महोबा से जनपद प्रयागराज जाने वाले भारी माल वाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी...। इस कार्यवाही को शतप्रतिशत कराने के लिए यातायात पुलिस महोबा, थाना कबरई एवं थाना खन्ना पुलिस टीम को जरुरी निर्देश दिए गये हैं...।

- उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 को जनपद प्रयागराज में लोकआस्था के महापर्व महाकुम्भ 2025 का द्वितीय शाही स्नान होगा, वहीं 04 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी पर्व के दिन तृतीय शाही स्नान पर्व होना है। इस दिन ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपद प्रयागराज जाने वाले सभी तरह के भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश को थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत बांदा तिराहा से डायवर्ट किया जायेगा व इनके जनपद प्रयागराज जाने को प्रतिबन्धित किया जायेगा।
- अतः उक्त के क्रम में आप सभी सम्मानित व्यापारी बन्धुओं, क्रेशर संचालकों, ट्रक मालिक/चालकों से अनुरोध है कि दिनांक 27 जनवरी से 04 फरवरी 2025 तक व्यवस्था के अनुरुप पुलिस प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर महाकुम्भ 2025 पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
- आपसे अपेक्षा है कि जनपद प्रयागराज जाने वाले भारी माल वाहक वाहनों में इन दिनों माल को लोड न करें। महोबा पुलिस प्रशासन आपकी सेवा / सुरक्षा में सदैव तत्पर है।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी अद्धी राइफल तथा 01 अदद खोखा एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रचलित अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.01.2025 को थाना खरेला प्रभारी निरीश्रक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा, उ0नि0 अवनीश कुमार यादव मय हमराह का0 अनुराग सचान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना खरेला में पंजीकृत मु0अ0स0 05/25 धारा 288/126(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वाछिंत अभियुक्त गुलाब पुत्र रामसेवक उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम दमदमा थाना खरेला जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के ग्राम दमदमा के पास से गिरफ्तार किया गया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयोग किया गया अवैध असलाहा एक अदद राइफल देशी अद्धी 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त के द्वारा घटना में प्रयोग किये गये उपरोक्त मुकदमे में अवैध असलाहा की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

गुलाब पुत्र रामसेवक उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम दमदमा थाना खऱेला जनपद महोबा।

बरामदगी - 01 अदद राइफल देशी अद्धी व 01-01 अदद खोखा-जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

1. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
2. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
3. का0 अनुराग सचान

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में SPEL (स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम) के तहत चयनित छात्र- छात्राओं को थाना कोतवाली नगर अवस्थित महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस एवं थाना कार्यालय सहित पुलिस कार्यप्रणाली/अभिलेखों की दी गयी विस्तृत जानकारीः-

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा “श्री पलाश बंसल” के निर्देशन में आज दिनांक 27.01.2025 को भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के तत्वाधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम **Student Police Experiential Learning (SPEL)** कार्यक्रम के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा में वीर भूमि डिग्री कालेज, महोबा से प्रशिक्षण हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को अपराध निरीक्षक श्री बलवान सिंह द्वारा सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हुए उनमें संवेदनशीलता विकसित करने व तनाव प्रबंधन सीखने के लिये प्रशिक्षण देने तथा पुलिस की कार्यशैली/कार्यप्रणाली जिसमें- आगंतुक पटल, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्पडेस्क, ग्राम सुरक्षा समिति रजिस्टर सहित थाना कार्यालय में प्रचलित विभिन्न अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस दौरान कालेज के छात्र/छात्राओं द्वारा पुलिस के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के पूछे गये, जिस पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में समुचित प्रत्युत्तर दिए गए।

इस दौरान उ.नि. सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी भटीपुरा, कं0ऑ0 अभिषेक वर्मा (प्रशिक्षण प्रदानकर्ता), कार्यालय मुंशी महिला आरक्षी ज्योति सहित थाना कोतवाली नगर महोबा के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

चेकिंग के दौरान चोरी के वांछित अभियुक्तों ने चरखारी पुलिस टीम पर किया फायर, पुलिस टीम ने सिखलाए हुए तरीके से फायर करने वाले 02 नफर शातिर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सम्पत्ति सहित अवैध तमंचा खोखा एवं जिन्दा कारतूस किए गए बरामद-

दिनांक- 24.01.2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के ग्राम बफरेथा निवासी रमेशचन्द्र राजपूत ने थाना चरखारी में उपस्थित होकर लिखित रुप से सूचित किया कि वह दिनांक 23.01.2025 को बैंक से 16 हजार रु. निकालकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में दो व्यक्तियों ने लिफ्ट दी, इस दौरान जब वह मोटरसाइकिल से उतरा तो पाया कि उसकी जेब कटी हुई है और उसकी जेब में पड़े 16 हजार रु. चोरी हो गये हैं, इस सूचना पर थाना चरखारी में मु.अ.सं. 15/25 धारा धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटित घटना का संज्ञान लिया गया व इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए घटना का सफल अनावरण किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी।

गठित पुलिस टीमों द्वारा इस घटना के सफल अनावरण हेतु विभिन्न सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया व विभिन्न साक्ष्यों को संकलित किया गया जिसके आधार पर आज दिनांक 27.01.2025 को मुखबिर ने सूचना दी की आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से राठ रोड गौरहारी की तरफ से चरखारी की ओर आ रहे हैं, इस सूचना पर थानाक्षेत्र के रायनपुर पुलिया के पास चेकिंग आरम्भ कर दी गई इसी दौरान गौरहारी की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, जिनको रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने एक राय होकर तमंचा निकालकर निशाना साधकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, पुलिस टीम ने सिखलाए हुए तरीके से अपना बचाव करते हुए उक्त दोनो अभियुक्तों 1.धर्मेन्द्र उर्फ धम्मू निवासी मु0शाहू का नाका कस्बा थाना जालौन जनपद जालौन 2.अजय पुत्र रामबाबू निवासी मु0 सिकन्दरापुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को पकड़ लिया। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया है, अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित चोरी किये हुए 16 हजार रुपयों में से 14 हजार 300 रु. सहित घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की गयी है, मोटरसाइकिल के प्रपत्र न होने पर एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/109/352/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त जेल भेजा जा रहा है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.01.2025

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धम्मू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 135/2018 धारा 379/420 भादवि थाना आटा जनपद जालौन
2.मु0अ0स0 247/2018 धारा 379/411/420 भादवि कोतवाली कोंच जालौन
3.मु0अ0स0 248/2018 धारा 379/411/420 भादवि कोतवाली कोंच जालौन
4.मु0अ0स0 249/2018 धारा 3/25आर्मस एक्ट कोतवाली कोंच जनपद जालौन
5.मु0अ0स0182/2018 धारा 379 भादवि थाना कदौरा जनपद जालौन
6.मु0अ0स0173/2018 धारा 379 भादवि थाना कदौरा जनपद जालौन
7.मु0अ0स0 15/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चरखारी जनपद महोबा
8.मु0अ0स0 17/25 धारा 3(5)/109/352 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट चरखारी

अभियुक्त अजय पुत्र रामबाबू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 323/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
2.मु0अ0स0 127/2023 धारा 25/3/25 आर्मस एक्ट कोतवाली जालौन जालौन
3..मु0अ0स0 15/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चरखारी जनपद महोबा
4. मु0अ0स0 17/25 धारा 3(5)/109/352 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना चरखारी

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. धर्मेन्द्र उर्फ धम्मू निवासी मु0शाहू का नाका कस्बा थाना जालौन जनपद जालौन
2. अजय पुत्र रामबाबू निवासी मु0 सिकन्दरापुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह
2. उ0नि0 सनय कुमार 3. उ0नि0 विशाल बाजपेई
4. का0 आर्यन सिंह 5. का0 अंशुल कुमार 6. हें.का. श्याम सिंह

बरामदगी विवरण-

- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस
- 02 अदद जिन्दा कारतूस
- चोरी किये हुए 16 हजार रुपयों में से 14 हजार 300 रु. नगद
- घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल बरामद की गयी है,